


अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक...१-१२-२१...को पेश है

१-१२-२१) पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वकील वादी
अनुपस्थित। वकील प्रतिवादी उपस्थित।
बार-बार आवाज दिलवाई गई। सायं
५ बज चुके वी बार-बार-बार आवाज
दिलवाने के बावजूद वादी व वकील वादी
में से कोई उपस्थित नहीं। अतः अदम
हाजरी। अदम पैरबी में वादी का वाद
खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

